

## प्रारूप-2

प्राप्त:  
ई-मेल:

फोन:  
फैक्स:

### कार्यालय— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर

संख्याक. एच०सी०—मान्यता / 1959 / 2013-14

तारीख: 03 मार्च 2014

प्रबन्धक,

जी० एस० एस० एकेडमी,  
युसुफपुर, विकास खण्ड—मोरना,  
मुजफ्फरनगर।

विषय:— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की वारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 26.8.2013 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं, मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29.01.2014 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में जी० एस० एस० एकेडमी, युसुफपुर, विकास खण्ड—मोरना, जनपद—मुजफ्फरनगर को तारीख 29.01.2014 से तारीख 28-01-2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

- 1— मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3— विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थित, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर बर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4— पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम वी वारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5— सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अव्यवधान नहीं करेगा।
- 6— विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।

Principal  
G.S.S. Academy  
Bhopa Road, Yusufpur Muzaffarnagar

Principal  
G.S.S. Academy  
Bhopa Road Yusufpur  
M.Nagpur

Bhopa  
M.Nagpur

और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।


- (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यवीन नहीं किया जाएगा।
- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और।
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।


7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।  
अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	1300 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्रफल	900 वर्ग मीटर
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल	400 वर्ग मीटर
कक्षों की संख्या	14 कक्ष
प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भांडागार के लिए कक्ष	है।
बालक और यालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है।
पेयजल सुविधा	है।
मिठ-डे-मील पकाने के लिए रसोई	.....

  
Principal  
CAMBRIDGE CONVENT  
Powayan, Sahajanaipur

  
Principal  
G.S.S. Academy  
Bhopal Road, Yusufpur, Muzaffarnagar

  
GER  
G. S. S. Academy  
Bhopal Road, Yusufpur  
Muzaffarnagar

बाधारहित पहुंच

है।

अध्यापन पठन सामग्री/ क्रीड़ा खेलकूद उपस्करो/ पुस्तकालय

की उपलब्धता

है।

9— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10—विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11— विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12— स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13—विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14—आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्यांक M- 25 /2014 है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

16— सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17— संलग्न उपांग के अनुसार अन्य कोई शर्त।

Principal  
G.S.S. Academy  
Bhopal Road, Yusufpur, Muzaffarnagar

Principal  
G.S.S. Academy  
Bhopal Road Yusufpur  
M.Nagar

Principal  
CAMBRIDGE CONVENT  
Powayen, Shantinagar  
(कौस्तुभ कुमार सिंह)  
जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी  
मुजफ्फरनगर

MANAGER  
G.S.S. Academy  
Bhopal Road Yusufpur  
M.Nagar